

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या
निर्णय दिनांक:-

321 / 2020
08.01.2021

कान्हाराम पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोक

उनवान

-प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-
यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात खाता संख्या 49 ख0न0 2090/1621 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोक है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कान्हाराम पुत्र गंगाराम है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से कान्हाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर काना पुत्र गंगाराम अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम कान्हाराम पुत्र गंगाराम है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कान्हाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सहवन से काना पुत्र गंगाराम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात खाता संख्या 49 ख0न0 2090/1621 रकबा 0.66 हैक्टर वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा जिला टोक में प्रार्थी का नाम काना पुत्र गंगाराम के स्थान पर कान्हाराम पुत्र गंगाराम अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम ककोड़ के खाता सं0 49 ख0न0 2090/1621 रकबा 0.66 है0 में प्रार्थी का नाम काना पुत्र गंगाराम जाति माली दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से काना पुत्र गंगाराम व कान्हाराम पुत्र गंगाराम एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 49 ख0न0 2090/1621 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ककोड़ तहसील उनियारा में प्रार्थी कान्हाराम



उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

पुत्र गंगाराम जाति माली साकिन ककोड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम कान्हाराम पुत्र गंगाराम व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम कान्हाराम दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम ककोड के खाता सं0 49 में काना पुत्र गंगाराम के स्थान पर कान्हाराम पुत्र गंगाराम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 49 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज काना पुत्र गंगाराम के स्थान पर कान्हाराम पुत्र गंगाराम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुधी राजदी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

